तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/26	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उप. तहसीलदार सेड़वा से अन्तर्गत धारा 175, 177 RT Act 1955 में वर्तमान मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार तहसील सेड़वा के मौजा जालीला के राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा नं. 367/155 रकबा 3.1646 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि विपक्षी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त खातेदारी भूमि के आंशिक भाग पर अप्रार्थी शफी मोहम्मद पुत्र नालेखंगा कौम मुसलमान ने पूर्व में कपड़ा सुखाने के लिए अड़ान व धुलाई कार्य करके उक्त खातेदारी भूमि का गैर कृषि कार्यो हेतु उपयोग किया जा रहा था। जिस पर जांच कर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश से प्रकरण में दिनांक 11.1.26 को पुनः मौका देखा गया। ग्राम जालीला के खसरा सं. 367/155 रकबा 3.1646 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वर्तमान में कोई अकृषि कार्य कपड़ा धुलाई व सुखाई आदि नहीं हो रहा है। संबंधित खातेदार श्री शफी मोहम्मद पुत्र नालेखंगा को हिदायत दी गई कि वह अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति व आदेश के बिना गैर कृषि कार्यो हेतु दुबारा प्रयोग न लेवें। चूंकि वर्तमान में हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का किसी अकृषि कार्यो हेतु मौके पर प्रयोग या प्रयुक्त नहीं होने से अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 175, 177 RT Act 1955 का न्यायालय स्तर से नियमानुसार निस्तारण करना उचित रहेगा। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः विपक्षी को निर्देश दिये जाते हैं कि कृषि भूमि [illegible] बिना सक्षम आज्ञा के उपयोग किया जाता है तो [illegible] तहसील सेड़वा द्वारा पुनः पेश किया जा[illegible] कार्यवाही की जायेगी। इस पत्रावली को [illegible] स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:34:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner